

## स्वीकृति पत्र

तिथि:  
आवेदक:  
पता:

सह-आवेदक:  
गारंटर:

विषय: ग्रीहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ <Product>-----के लिए आपका एप्लीकेशन (पहले, पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

रेफरेंस: लोन अकाउंट नंबर:

प्रिय सर / मैडम,

ग्रीहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में, पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) ("ग्रीहम" या "लेंडर" चुनने के लिए धन्यवाद, जिसका अर्थ होगा और इसके ट्रांसफरी, असाइन और पार्टनर को-लेंडर (को) जैसा भी मामला हो,) को लोन के लिए पसंदीदा पार्टनर के रूप में शामिल किया जाएगा. हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि, उपरोक्त एप्लीकेशन के संदर्भ में, हमने नीचे और ओवरलीफ के नियम व शर्तों के अनुसार आपको लोन सुविधा मंजूर की है:

स्वीकृत राशि (₹. में)	
लोन का प्रकार	
लोन की अवधि (महीने)	
ब्याज का प्रकार	
EMI भुगतान की फ्रीक्वेंसी	मासिक
ग्रीहम की फ्लोटिंग रेफरेंस रेट (एफआरआर)	
मार्जिन/स्प्रेड	
ब्याज दर (% प्रति वर्ष आधार पर)	
सैंक्शन लेटर की वैधता	जारी होने की तिथि से 60 (साठ) दिन
सूचित समान मासिक किश्त (₹. में EMI)	
भुगतान की देय तिथि	हर महीने की 7th को
प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रीमियम राशि (₹. में)	
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम राशि (₹. में)	
लोन गार्ड इंश्योरेंस प्रीमियम राशि (₹. में)	
CERSAI शुल्क	₹. 5 लाख तक की लोन राशि के लिए ₹. 50 प्लस GST ₹. 5 लाख से अधिक की लोन राशि के लिए ₹. 100 प्लस GST
बकाया ईएमआई/प्री-ईएमआई/किश्त पर ब्याज	लोन पर लागू ब्याज दर के साथ
विलंब भुगतान शुल्क/दंड शुल्क (बकाया ईएमआई/किश्त/प्री-ईएमआई पर ब्याज के अलावा, भुगतान में देरी होने पर)	12% प्रति वर्ष, यानी, बकाया/डिफॉल्ट राशि का 1% और बकाया राशि/ईएमआई/किश्त/प्री-ईएमआई के भुगतान में देरी/डिफॉल्ट के प्रत्येक महीने के लिए जीएसटी
वैप राशि (₹. में)	
भुगतान का माध्यम	NACH
प्रोसेसिंग शुल्क (नॉन-रिफंडेबल) (₹. में)	
लॉग-इन शुल्क का भुगतान अपफ्रंट (नॉन-रिफंडेबल) (₹. में) किया जाएगा	
लोन सोर्सिंग/लोन डॉक्यूमेंटेशन/तकनीकी/मूल्यांकन/कानूनी/CKYC/NESL शुल्क जिसमें लागू टैक्स (नॉन-रिफंडेबल) (₹. में) शामिल हैं	
ऋण करार, सुरक्षा सृजन दस्तावेज आदि पर देय स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार और अन्य संबंधित प्रभार.	संबंधित राज्यों में लागू प्रचलित स्टाम्प ड्यूटी दरों के अनुसार आवेदक द्वारा वहन किया जाना.
पूर्व भुगतान शुल्क	टैरिफ शीट देखें

**Grihum Housing Finance Limited**

(Formerly known as Poonawalla Housing Finance Limited)

CIN: U65922PN2004PLC208751

Registered Office: 602, 6th Floor, Zero One IT Park, Survey No. 79/1, Ghorpadi, Mundhwa Road, Pune-411036, Maharashtra  
T: +91 020 67808091 | E: customercare@Grihumhousing.com | W: www.Grihumhousing.com

निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई प्री-पेमेंट/फोरक्लोज़र शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए:  
 (a) जहां हाउसिंग लोन फ्लोटिंग ब्याज दर के आधार पर है और किसी भी स्रोत से पूर्व बंद किया गया है.  
 (b) जहां आवास ऋण निश्चित ब्याज दर के आधार पर होता है और ऋण उधारकर्ता द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से पूर्व बंद किया जाता है\*\*\*.  
 (c) व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को व्यवसाय के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए मंजूर किया गया कोई फ्लोटिंग दर टर्म ऋण.

लोन का अंतिम उपयोग	
सुरक्षा और अतिरिक्त/कोलैटरल सुरक्षा का विवरण	

नोट:

\* राशियां संकेतक होती हैं और वितरण की वास्तविक तारीख के आधार पर परिवर्तन, ब्याज दर में परिवर्तन, यदि कोई हो और पुनर्भुगतान में चूक की स्थिति में देय अन्य लागू शुल्क सम्मिलित न हो, पर निर्भर करेगी.

\*\*\* अपने स्रोत" शब्द का अर्थ प्री-पेमेंट/फोरक्लोज़र के उद्देश्य से उधारकर्ता द्वारा उपयोग किए गए/लिए गए किसी भी स्रोत से होगा और जिसमें बैंक, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और/या फाइनेंशियल संस्थान से कोई उधार नहीं लिया जाता है

स्वीकृति की शर्तें:

आपका वास्तव में

ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए  
 (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

**अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

**स्वीकृति और स्वीकृति**

हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर:
उधारकर्ता का नाम:	सह-उधारकर्ता का नाम:	

तिथि:

## अतिरिक्त नियम व शर्तें

1. आवेदक शब्द में जहां भी लागू हो, सभी सह-आवेदक भी शामिल होंगे, सिवाय जहां संदर्भ अन्यथा निहित होता है और ग्रिहम के प्रति सभी संदर्भ ग्रिहम के प्रति अर्थ होगा ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (ग्रिहम), जब तक कि संदर्भ अन्यथा निहित न हो।
2. इस मंजूरी पत्र का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि ग्रिहम के भाग पर किसी बाध्यता को वित्तीय सहायता/सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसी बाध्यता को उत्पन्न करने के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि आवेदक ने विधिवत रूप से ऋण करार और सुरक्षा सृजन दस्तावेजों और अन्य लेनदेन दस्तावेजों को निष्पादित न किया हो, जो समय-समय पर ग्रिहम द्वारा आवश्यक हो।
3. यह मंजूरी शीर्षक विलेखों/दस्तावेजों की कानूनी जांच और परिश्रम के अधीन है और प्रतिभूति के रूप में और उसके द्वारा बंधक रखी जाने वाली संपत्ति के तकनीकी मूल्यांकन के अधीन है। ग्रिहम की राय संपत्ति के शीर्षक और मूल्य की वैधता और विपणन योग्यता के बारे में स्वीकृत ऋण के प्रयोजन के लिए अंतिम माना जाएगा।
4. आवेदक ग्रिहम द्वारा निर्धारित संपत्ति का समान बंधक/पंजीकृत बंधक बनाएगा। इस लोन का लाभ उठाने के लिए प्रस्तावित प्रॉपर्टी के पहले और विशेष मॉरगेंज द्वारा लोन सुरक्षित किया जाएगा और / या ऐसी अन्य सुरक्षा, जैसे ग्रिहम आवश्यक और स्वीकार्य पाते हैं। ग्रिहम द्वारा आवश्यक ऐसे दस्तावेज/रिपोर्ट/साक्ष्य को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा कि ग्रिहम के साथ गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति का स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक है। गिरवी रखने के लिए प्रस्तावित संपत्ति के मूल शीर्षक विलेख को आवेदक द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनी के पास जमा किया जाएगा।
5. EMI शुरू होने से पहले, आवेदक को लोन के बकाया बैलेंस पर देय ब्याज की सेवा करने के लिए पूर्व-समान मासिक किश्तों (PEMI) का भुगतान करना होगा। पुनर्भुगतान अनुसूची ईएमआई/पीईएमआई के मूलधन और ब्याज घटकों के बीच विवरण प्रदान करेगी और, ऋण के संबंध में, उसे उधारकर्ता को पहली देय तिथि से पहले प्रदान किया जाएगा।
6. निवास इकाई के निर्माण के लिए या निर्माणाधीन आवासीय इकाई के तहत हाउसिंग लोन के मामले में, लोन लेने के 36 महीनों के भीतर निर्माण पूरा न होने पर लोन को गैर-हाउसिंग लोन में बदलने और उसकी आंतरिक नीति के अनुसार ब्याज दर में वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार ग्रिहम को प्रदान किया जाएगा, जो लागू हो।
7. ऋण का वितरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्रिहम द्वारा स्वीकृत निवास इकाई की लागत कम हो जाए।
8. अतिरिक्त सीमाओं के मामले में, प्रस्तावित अतिरिक्त सीमा और/या स्वीकृत शर्तों के अनुसार मौजूदा बंधक को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। ग्रिहम ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूतियों की तलाश कर सकते हैं जो अतिरिक्त सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो।
9. आवेदक को पत्राचार पते में किसी भी परिवर्तन, रोजगार में परिवर्तन, कार्य की हानि, कारबार, पेशे की हानि, जैसा भी मामला ऐसे परिवर्तन/हानि के तुरंत बाद हो, देरी के कारणों, संपत्ति को नुकसान/क्षति के बारे में सूचित करना होगा, संपत्ति में जोड़/परिवर्तनों को अधिसूचित करना होगा।
10. ऋण राशि निर्धारित की गई है, इस धारणा पर अन्य बातों के साथ किया गया है कि आवेदन में खरीदी जाने वाली या निर्मित निवास इकाई की लागत के अनुमान के अनुसार होगी। वास्तव में लागत कम होने की स्थिति में, गृहम ऋण राशि को उपयुक्त रूप से कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. इस पत्र में या अन्यथा किसी बात के होते हुए भी, ओवरलीफ में उल्लिखित सुविधाएं केवल ग्रिहम के विवेकाधिकार पर उपलब्ध होंगी और ग्रिहम द्वारा निर्दिष्ट/आवश्यक सभी औपचारिकताओं और दस्तावेजों के अनुपालन के अधीन होंगी। इसका अनुपालन न करने की स्थिति में ग्रिहम को दिया गया सभी शुल्क वापस नहीं किया जा सकता।
12. ऋणदाता द्वारा एकत्र किए गए लॉगिन शुल्क केवल अंडरराइटिंग प्रक्रिया के दौरान आवेदक की मृत्यु और गंभीर विकलांगता जैसी स्थिति में ही वापस किया जा सकता है।
13. एक से अधिक शाखाओं में ऋणदाता द्वारा लॉगिन शुल्क एकत्रित किया जा सकता है।
14. यह ऑफर लेटर रद्द और रद्द किया जाएगा और पूरी तरह से शून्य और शून्य होगा, अगर (क) उस प्रस्ताव में जिसके लिए यह लोन मंजूर किया गया है, कोई सामग्री परिवर्तन होता है या; (ख) आय से संबंधित कोई सामग्री तथ्य, या ऋण के लिए प्रस्ताव या आवेदन के किसी अन्य सुसंगत पहलू का पुनर्भुगतान या उपयोग करने की क्षमता को रोक दिया जाता है, दबाया जाता है, छिपाया जाता है या ग्रिहम को ज्ञात नहीं किया जाता है या; (ग) ऋण आवेदन में किया गया कोई विवरण गलत या असत्य पाया गया है।
15. सभी वैधानिक शुल्क जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, सीईआरएसएआई शुल्क आदि या समय-समय पर लागू कर आवेदक द्वारा वहन किए जाने होंगे। आवेदक ग्रिहम की वेबसाइट पर समय-समय पर/शाखाओं पर प्रदर्शित किए गए शुल्कों की ग्रिहम टैरिफ शीट-शिड्यूल के तहत अधिसूचित अन्य लागू शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
16. फ्लोटिंग दर ऋणों या संयुक्त दर ऋण की दशा में (एफआरआर से जुड़ी अवधि के दौरान), सुविधाओं पर लागू ब्याज दर वितरण की तारीख/तिथियों पर प्रचलित एफआरआर के अनुसार होगी। ग्रिहम अपने आप में होंगे -विवेकाधिकार, समीक्षा और, यदि आवश्यक समझा जाए, तो ऋण की अवधि के दौरान अपनी आंतरिक नीति, बाजार स्थितियों और/या लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार किसी भी समय और समय-समय पर एफआरआर को संशोधित कर सकता है, जिसकी सूचना ऐसे संशोधन के समय उधारकर्ता को दी जाएगी। ऐसे ऋण के मामले में, ऋण समझौते में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार, लागू ब्याज दर समय-समय पर ऊपर या नीचे संशोधित हो सकती है। ब्याज की अस्थिर दर के रीसेट होने पर, आवेदक को निम्नलिखित विकल्पों में से कोई भी चुनने का विकल्प दिया जाएगा:
  - a. ईएमआई में वृद्धि या अवधि की लंबाई या दोनों विकल्पों के संयोजन के लिए; और,
  - b. ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय, भाग या पूर्ण रूप से पूर्व भुगतान करने के लिए लागू फोरक्लोज़र शुल्क/पूर्व भुगतान दंड.

17. एफआरआर/फ्लोटिंग ब्याज दर में किसी भी परिवर्तन/संशोधन के मामले में, आवेदक के पास ग्रीहम की आंतरिक नीति के अधीन फ्लोटिंग दर से फिक्स्ड दर तक स्विच ओवर करने का विकल्प होगा. तथापि, फ्लोटिंग दर से एक निश्चित ब्याज दर या उसके विपरीत ऐसा विकल्प लागू शुल्क के अधीन लोन की पूरी अवधि के दौरान दो बार से अधिक उपलब्ध नहीं होगा. इसके अलावा, ग्रीहम अपने विवेकाधिकार पर, व्यापार संबंध और ऋण के पुनर्भुगतान ट्रेक रिकॉर्ड के आधार पर ब्याज दर की पुनर्मूल्य/संशोधन का विकल्प प्रदान कर सकता है. ब्याज दर की ऐसी स्विचिंग/पुनर्मूल्य/कन टैरिफ शीट और अन्य आंतरिक दिशानिर्देशों में उल्लिखित स्विच शुल्क के भुगतान के अधीन होगा, जिसका निर्णय ग्रीहम द्वारा अपने विवेकाधिकार पर किया जाएगा.
18. ग्रीहम आपके लोन पर प्री-ईएमआई विकल्प को ईएमआई विकल्प में बदल सकता है, जिसे ग्रीहम द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निर्धारित किया जाएगा और ऐसे बदलाव के संबंध में उधारकर्ता को विधिवत सूचित किया जाएगा.
19. एप्लीकेंट 4 सिक्समोन्थ पोस्ट-डेटेड चेक (एसपीडीसी) प्रदान करेगा, जब उन्हें बकाया बैलेंस या बैंक अकाउंट के भुगतान के लिए समाप्त किया जाता है.
20. ईएमआई, प्री-ईएमआई ब्याज का भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक किया जाना चाहिए और अगर उस दिन रविवार या सार्वजनिक अवकाश है, तो तुरंत पहले दिन.
21. पूरी बकाया राशि पर, इस करार की शर्तों के किसी भी उल्लंघन (उपरोक्त खंड 3.8 (क) में निर्दिष्ट भुगतान डिफॉल्ट को छोड़कर) की किसी भी घटना और निरंतरता की स्थिति में. ऐसा अतिरिक्त ब्याज उधारकर्ता को इस करार की शर्तों के उल्लंघन की तिथि से तब तक लागू होगा जब तक ऐसा उल्लंघन उधारकर्ता की संतुष्टि के लिए इलाज/सुधार नहीं किया गया है.
22. टॉप-अप राशि, यदि कोई हो, स्वीकृत कुल लोन-एक्सपोजर में से, मौजूदा लोन अकाउंट/प्रोजेक्ट नंबर में मौजूदा बकाया मूलधन को समायोजित करने के बाद वितरित की जाएगी. साथ ही, सभी ऋण लेखा/प्रस्ताव संख्या एक दूसरे से जुड़ी होगी और संबंधित संपत्ति-दस्तावेज तब तक जारी नहीं किए जाएंगे जब तक सभी ऋण खाते/प्रस्ताव संख्या ग्रीहम की पुस्तकों में बंद हो जाएंगे.
23. इंश्योरेंस आग्रह की विषयवस्तु है. आवेदक के पास पूर्ण या आंशिक वितरण में लिए गए ऋण सुविधा को कवर करने के लिए समूह बीमा योजना (ग्रीहम के साथ मास्टर पॉलिसीधारक के रूप में) के अंतर्गत नामांकन करने का विकल्प है. हालांकि, आवेदक किसी भी बीमा मध्यस्थ से बीमा का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है. किसी भी उल्लंघन के मामले में, कृपया इसे nodalofficer@grihumhousing.com पर रिपोर्ट करें. सभी बीमा (जीवन और गैर-जीवन) नीतियां बीमा प्रमाणपत्र की प्रभावी तारीख हैं.
24. इसके नियम और शर्तें ऋण सुविधाओं पर लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन होंगी और लागू सूचना के साथ परिवर्तन के अधीन होंगी.
25. उपर्युक्त ऋण उस प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया गया है जिसके लिए इसे आवेदन किया गया है. यदि ऋण का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है या ग्रीहम को यह आशंका होती है कि ऋण को इस प्रकार का अन्य प्रयोग करने की संभावना है, तो ग्रीहम को ऋण वापस लेने और देय राशि को याद करने का अधिकार होगा.
26. इसके द्वारा दिए गए ऋण को स्वीकार करके, आवेदक स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि उनके द्वारा लिए गए ऋण और उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ऋण का उपयोग केवल उन प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनके लिए उन्हें मंजूर किया गया है.
27. ऊपर सूचीबद्ध सभी ऋण सुविधाएं और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को भारतीय कानूनों के अनुसार शासित किया जाएगा और पुणे में न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन रहेगा.
28. नियत तारीखों पर ऋण/अग्रिम/सुविधा/ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक होने पर, ग्रीहम और/या भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदक और/या उसके भागीदारों/निदेशकों का नाम ऐसी रीति से चूककर्ता के रूप में प्रकट करने या प्रकाशित करने का अयोग्य अधिकार होगा और ऐसे माध्यम के माध्यम से ग्रीहम या भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में उनके पूर्ण विवेकाधिकार में उचित समझेगा.
29. यहां पहले बताए गए स्वीकृति के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन, परिवर्तन या छूट, प्रवर्तनीय और बाध्यकारी नहीं होगी, जब तक कि ऐसा संशोधन, परिवर्तन या छूट ग्रीहम द्वारा अनुमोदित/अनुमोदित न हो. ग्रीहम स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से सुविधा के नियमों और शर्तों में परिवर्तन/परिवर्तन या छूट के लिए किसी भी दायित्व को अस्वीकार करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल शामिल हैं लेकिन इन्हें तक सीमित नहीं है, जब तक कि इसका उद्धृत निम्नलिखित ईमेल एड्रेस से नहीं हुआ है:- customercare@grihumhousing.com .
30. किसी भी लोन खाते का विशेष उल्लेख खाते (एसएमए)/गैर-निष्पादन आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खाते का एक बार मानक के रूप में वर्गीकरण लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार होगा. 30 दिनों तक की अवधि के लिए बकाया मूलधन या/और ब्याज या किसी अन्य राशि (पूरी तरह/आंशिक) वाला लोन अकाउंट को एसएमए-0, बकाया मूलधन या/ब्याज या किसी अन्य राशि (पूरी तरह/आंशिक) वाला लोन अकाउंट 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा और 60 दिनों तक को एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. 60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक की अवधि के लिए बकाया मूलधन या/ब्याज या किसी अन्य राशि (पूरी तरह/आंशिक) वाला लोन अकाउंट एसएमए-2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया मूलधन या/ब्याज वाला लोन अकाउंट एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा. इसके अलावा, एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण/उधारकर्ता को केवल तभी मानक आस्ति के रूप में उन्नत किया जाएगा जब पूरे मूलधन और ब्याज बकाया का भुगतान किया जाता है. यह खंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियामक निदेशों/दिशानिर्देशों के अधीन होगा. एसएमए/एनपीए और अन्य प्रावधानों के रूप में वर्गीकरण वर्तमान में लागू नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है और लागू विनियामक आवश्यकताओं में किसी भी परिवर्तन के मामले में, वर्गीकरण परिवर्तित/संशोधित नियामक आवश्यकताओं के अनुसार होगा. आवेदक यह पुष्टि करते हैं कि उन्हें अपनी स्थानीय भाषा में उदाहरण के साथ आस्ति वर्गीकरण मानदंडों को विधिवत समझा गया है और उन्होंने उक्त आस्ति वर्गीकरण मानदंडों को स्पष्ट रूप से समझा है.
31. इस स्वीकृति पत्र को स्वीकार करके, आप पुष्टि करते हैं कि आपने जोखिम के ग्रेडेशन के लिए ग्रीहम द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण समझ लिया है और उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न ब्याज दर प्रभाषित करने के तर्कसंगत है. इस संबंध में, कृपया ध्यान दें कि ग्रीहम ने

**Grihum Housing Finance Limited**

(Formerly known as Poonawalla Housing Finance Limited)

CIN: U65922PN2004PLC208751

Registered Office: 602, 6th Floor, Zero One IT Park, Survey No. 79/1, Ghorpadi, Mundhwa Road, Pune-411036, Maharashtra

T: +91 020 67808091 | E: customercare@Grihumhousing.com | W: www.Grihumhousing.com

लोन और अग्रिम के लिए प्रभारित ब्याज दर निर्धारित करने के लिए निधियों की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम जैसे संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर मॉडल अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए, ग्रिहम आय/रोजगार प्रोफाइल, पुनर्भुगतान क्षमता, अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताएं, ऋण इतिहास, मूल्य अनुपात के लिए ऋण, प्रतिभूति/संपाश्रिक प्रकार, ऋण का प्रयोजन, विनियामक पूंजी/प्रावधान आदि जैसे कारकों पर भी विचार करता है। तदनुसार, ग्रिहम विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न ब्याज दर प्रभारित कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए, कृपया ग्रिहम की वेबसाइट देखें।

32. इस पत्र को स्वीकार करना एक पुष्टिकरण है कि आवेदक ने पूर्वोक्त उल्लिखित विषय-वस्तुओं को पढ़ा और समझा है और यह भी पुष्टि करता है कि आवेदक को किसी भी मुफ्त उपहार/छूट या कोई अन्य प्रतिबद्धता का वादा नहीं किया गया है जो ग्रिहम के साथ ऋण करार में प्रलेख नहीं किया गया है। यह और पुष्टि की जाती है कि ऋण राशि के संबंध में आवेदक से कोई नकद/बेयरर चेक नहीं लिया गया है।
33. आवेदक स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि उन्होंने स्वीकृति पत्र की शर्तों को पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है। आवेदक इस बात की पुष्टि करता है कि ऋणदाता ने अपनी स्थानीय भाषा में स्वीकृति पत्र की शर्तों को स्पष्ट किया है और उन्हें पूरी तरह समझा है। एप्लीकेंट इस स्वीकृति पत्र के सभी नियम और शर्तों को आगे बढ़ाते हैं और उन्हें समझते हैं, जिन्हें उनके लिए <https://Grihumhousing.com> पर ग्रिहम की वेबसाइट पर सर्वश्रेष्ठ समझने के लिए उपलब्ध कराया गया है।
34. कृपया ध्यान दें कि इस मंजूरी पत्र में या अन्यथा किसी बात के होते हुए भी, ऋण केवल ग्रिहम के विवेकाधिकार पर उपलब्ध होगा और ग्रिहम द्वारा निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं और दस्तावेजों के अनुपालन के अधीन होगा। इसके अलावा, ग्रिहम किसी भी कारण बताए बिना या उसके साथ इस स्वीकृति पत्र को अस्वीकार करने और उसे अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है।
35. लोन से संबंधित सभी बकाया राशि का पूर्ण पुनर्भुगतान/सेटलमेंट करने के 30 दिनों के भीतर, कंपनी उधारकर्ता द्वारा सबमिट किए गए सभी ओरिजिनल प्रॉपर्टी/टाइटल डॉक्यूमेंट रिलीज़ करेगी और रजिस्टर्ड शुल्क हटाने के लिए संबंधित रजिस्ट्री के साथ कार्रवाई/फाइल चार्ज संतुष्टि फॉर्म लेगी, जो किसी अन्य शुल्क या ग्रिहम के पक्ष में सिक्योरिटी ब्याज को जारी रखने के अधीन होगा, जहां भी लागू हो। मूल संपत्ति/शीर्षक दस्तावेज उधारकर्ता को कंपनी की शाखा में भेजे जाएंगे जहां से लोन खाते की सेवा की गई थी या कंपनी की कोई अन्य शाखा जहां उक्त दस्तावेज उपलब्ध हैं, आपकी पसंद के अनुसार।
36. इस पत्र की हस्ताक्षरित प्रति ग्रिहम को उपर्युक्त और ओवरलीफ के नियमों और शर्तों की स्वीकृति के रूप में दी जानी चाहिए।
37. ग्रिहम के पास एक या अधिक उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता/ऋण सुविधा/ऋण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित आवास वित्त कंपनियों (इस मंजूरी पत्र में "सह-ऋणदाता" कहा जाता है) के साथ सहयोग/सह-उधार व्यवस्था करने का अधिकार है। इस मंजूरी पत्र पर हस्ताक्षर करके, आप, उधारकर्ता, स्वीकार करते हैं कि आपके ऋण का एक भाग ऐसे सह-ऋणदाता द्वारा, ग्रिहम और ऐसे सह-ऋणदाता के बीच लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सह-उधार व्यवस्था के भाग के रूप में वित्तपोषित किया जा सकता है। स्वीकृति पत्र की स्वीकृति द्वारा, आप ऐसे सह-ऋणदाता को अपने ऋण के किसी भाग के निर्धारण/अंतरण को स्पष्ट रूप से सहमति देते हैं जो ऋण करार में निर्धारित सभी संबंधित नियमों और शर्तों के दस्तावेज के अधीन होंगे।
38. इन शर्तों को स्वीकार करने से लोन की शर्तों के बारे में आपकी समझ और समझौते की पुष्टि होती है, जिसमें सह-उधार देने वाली साझेदारी और असाइनमेंट प्रक्रिया भी शामिल है। यह ऋण प्रशासन, सेवा और पुनर्भुगतान से संबंधित मामलों में ग्रिहम और सह-ऋणदाता दोनों के साथ सहयोग करने की आपकी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।
39. लागू ब्याज दर/शुल्क से संबंधित प्रश्न या किसी अन्य प्रश्न के बारे में किसी भी जानकारी के लिए कृपया ग्रिहम की वेबसाइट या इसकी नज़दीकी ब्रांच पर जाएं या हमारी कस्टमर केयर ईमेल ID [customercare@grihumhousing.com](mailto:customercare@grihumhousing.com) पर हमसे संपर्क करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-266-3204 पर कॉल करें।

**Grihum Housing Finance Limited**

(Formerly known as Poonawalla Housing Finance Limited)

CIN: U65922PN2004PLC208751

Registered Office: 602, 6th Floor, Zero One IT Park, Survey No. 79/1, Ghorpadi, Mundhwa Road, Pune-411036, Maharashtra  
T: +91 020 67808091 | E: [customercare@grihumhousing.com](mailto:customercare@grihumhousing.com) | W: [www.Grihumhousing.com](http://www.Grihumhousing.com)

### टैरिफ शीट/शुल्क का शिड्यूल (\*कृपया नीचे दिए गए नोट देखें)

#	विवरण	लागू राशि
1	लॉग-इन शुल्क (नॉन-रिफंडेबल) (जिसे लेंडर के विकल्प पर एक या अधिक ट्रांच में एकत्रित किया जा सकता है)	₹. Rs.10,000 से अधिक नहीं होना चाहिए/-
2	प्रोसेसिंग शुल्क (नॉन-रिफंडेबल)	स्वीकृत लोन राशि का 0.50% तक और GST, न्यूनतम ₹2,000 और GST के अधीन
3	लोन सोर्सिंग/लोन डॉक्यूमेंटेशन/टेक्निकल/वैल्यूएशन/लीगल/CKYC/NESL शुल्क (नॉन-रिफंडेबल)	स्वीकृत लोन राशि का 2% तक
4	मुद्रांक शुल्क, पंजीकरण प्रभार और ऋण करार पर देय अन्य संबंधित प्रभार, दस्तावेजों पर सुरक्षा सृजन आदि.	संबंधित राज्यों में लागू प्रचलित स्टाम्प ड्यूटी दरों के अनुसार आवेदक द्वारा वहन किया जाना.
5	लोन कैसलेशन/रीबुकिंग पर शुल्क	₹. 5,000/-
6	भुगतान इंस्ट्रूमेंट बाउंस शुल्क (चेक/ACH या किसी अन्य मैडेट)	₹600/- हर बार
7	बकाया ईएमआई पर ब्याज	लोन पर लागू ब्याज दर के साथ
8	बकाया राशि के भुगतान में देरी के लिए दंड शुल्क (बकाया ईएमआई/किशत/प्री-ईएमआई पर ब्याज के अलावा)	12% प्रति वर्ष, यानी, बकाया/डिफॉल्ट राशि का 1% और बकाया राशि/ईएमआई/किशत/प्री-ईएमआई के भुगतान में देरी/डिफॉल्ट के प्रत्येक महीने के लिए जीएसटी
9	फ्लोटिंग से फिक्स्ड ब्याज दर में स्विच करने के शुल्क और इसके विपरीत; या लोन का पुनर्मूल्यन	बकाया मूलधन राशि पर 0.50%
10	पुनर्भुगतान इंस्ट्रूमेंट/NACH बदलने के लिए भुगतान इंस्ट्रूमेंट स्वेप शुल्क	₹. 500 /- प्रति स्वेप
11	अकाउंट का स्टेटमेंट	₹. 500/- प्रति स्टेटमेंट
12	लोन डिस्बर्समेंट के समय वेलकम लेटर के साथ साझा किए गए स्टेटमेंट या लोन एग्रीमेंट की कॉपी के अलावा (ब्याज स्टेटमेंट/अकाउंट स्टेटमेंट/NOC/फोरक्लोज़र लेटर/वेलकम लेटर/एमोर्टाइज़ेशन शिड्यूल/लोन एग्रीमेंट की डुप्लीकेट कॉपी)	ईमेल या डिजिटल लिंक के माध्यम से शेयर की गई सॉफ्ट कॉपी के लिए ₹. 250/- और हार्ड कॉपी पर ₹. 550
13	डॉक्यूमेंट शुल्क की लिस्ट	₹. 500/-
14	दस्तावेज़ की प्रतिलिपि प्राप्त करना	एक डॉक्यूमेंट के लिए ₹. 250 /-, 2 से 4 डॉक्यूमेंट के लिए ₹. 500/-, 4 से अधिक डॉक्यूमेंट के लिए ₹. 750
15	पार्ट पेमेंट शुल्क और प्री-पेमेंट/फोरक्लोज़र शुल्क (बंद होने के समय बकाया मूलधन राशि पर लागू)	4% फिक्स्ड ब्याज दर के मामलों के तहत या संयुक्त ब्याज दर के तहत लोन के लिए फिक्स्ड ब्याज दर अवधि के तहत लोन के लिए और भुगतान उधारकर्ता के अपने स्रोत से बाहर नहीं है; या  बिज़नेस के उद्देश्यों के लिए विस्तारित लोन के लिए फ्लोटिंग ब्याज दर पर लोन के लिए 4%.
16	फोरक्लोज़र लेटर जारी करने के शुल्क	₹. 1500/-

#### Grihum Housing Finance Limited

(Formerly known as Poonawalla Housing Finance Limited)

CIN: U65922PN2004PLC208751

Registered Office: 602, 6th Floor, Zero One IT Park, Survey No. 79/1, Ghorpadi, Mundhwa Road, Pune-411036, Maharashtra  
 T: +91 020 67808091 | E: customercare@Grihumhousing.com | W: www.Grihumhousing.com

17	कलेक्शन शुल्क	कस्टमर रेजिडेंस/ऑफिस से बकाया राशि का प्रति विजिट कलेक्शन ₹. 600
18	अलग-अलग ब्याज़ (लागू ब्याज़ दर और किसी भी लोन अकाउंट की मौजूदा ब्याज़ दर में अंतर के कारण प्राप्त कोई ब्याज़)	कस्टमर या लोन बंद होने के समय किसी भी समय रिफंड या शुल्क लिया जाएगा
19	लोन के दौरान ग्रीहम हाउसिंग फाइनेंस द्वारा किए गए कोई अन्य आकस्मिक शुल्क	लोन अकाउंट में असाइन/एलोकेट किया गया
20	काउंटर सर्विस शुल्क पर - पुनर्भुगतान या अन्य मामले	सेवाओं के समय लागू होने के अनुसार
21	CERSAI शुल्क	₹. 5 लाख तक की लोन राशि के लिए ₹. 50 प्लस GST ₹. 5 लाख से अधिक की लोन राशि के लिए ₹. 100 प्लस GST

**कृपया ध्यान दें:**

1. ऋण पर प्रभार्य फ्लोटिंग ब्याज़ दर (आरओआई) बेंचमार्क फ्लोटिंग रेफरेंस रेट (एफआरआर) से जुड़ी होती है, जो बेंचमार्क फ्लोटिंग रेफरेंस रेट (एफआरआर) में संशोधन के अनुसार देय होगी.
2. लागू कानून के अनुसार सभी लागू कर, शुल्क और शुल्क समय-समय पर उपरोक्त शुल्कों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा.
3. कंपनी द्वारा एकत्र किए गए लॉगिन शुल्क केवल अंडरराइटिंग प्रक्रिया के दौरान उधारकर्ता की मृत्यु और गंभीर विकलांगता जैसी स्थिति में ही वापस किया जा सकता है.
4. ऊपर दिए गए प्रशुल्क अनुसूची/प्रभारों की अनुसूची विस्तृत नहीं है और वर्तमान में उल्लिखित प्रभार वर्तमान में प्रचलित दरों पर हैं और समय-समय पर कंपनी के एकमात्र और निरपेक्ष विवेकाधिकार पर परिवर्तित किए जा सकते हैं और ऐसे परिवर्तन अपने सभी ग्राहकों पर अंतिम और बाध्यकारी होंगे. लागू फीस/शुल्क पर लेटेस्ट अपडेट या फ्लोटिंग रेफरेंस रेट (एफआरआर) में बदलाव के लिए कृपया हमारी वेबसाइट [www.Grihumhousing.com](http://www.Grihumhousing.com) देखें या ब्रांच के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित लेंडर की नज़दीकी ब्रांच में जाएं. प्रभारों के किसी भी संशोधन पर, ऋणदाता वेबसाइट पर प्रदर्शित करने, शाखाओं में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने, शॉर्ट मैसेजिंग सेवा, ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक संदेश, लिखित में कॉल या नोटिस जैसे किसी साधन के माध्यम से संशोधन के उधारकर्ता को सूचित करेगा और उधारकर्ता को संशोधित दरों पर लागू शुल्क का भुगतान करना होगा. मोबाइल नंबर सहित अपने संपर्क विवरण में परिवर्तन के मामले में कृपया जल्द से जल्द अपडेट करने के लिए लेंडर को सूचित करें.
5. अपने स्रोत" शब्द का अर्थ प्री-पेमेंट/फोरक्लोज़र के उद्देश्य से उधारकर्ता द्वारा उपयोग किए गए/लिए गए किसी भी स्रोत से होगा और जिसमें बैंक, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और/या फाइनेंशियल संस्थान से कोई उधार नहीं लिया जाता है.
6. किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए, कृपया हमारे टोल-फ्री कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर 1800 266 3204 पर सोमवार से शनिवार 9:00 A.M. से 7:00 P.M. तक संपर्क करें या हमें [customercare@grihumhousing.com](mailto:customercare@grihumhousing.com) पर लिखें
7. आप हमारी वेबसाइट [www.Grihumhousing.com](http://www.Grihumhousing.com) पर क्लिक पे विकल्प के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं और लिंक के तहत विस्तृत निर्देश का पालन कर सकते हैं.

ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए. (पूर्व पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)	उधारकर्ता::
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता हस्ताक्षर
	गारंटर
	गारंटर हस्ताक्षर

**कस्टमर केरी रिज़ोल्यूशन प्रोसेस:  
हमें कॉल करें**

आपके किसी भी प्रश्न या सेवा आवश्यकता के लिए, कृपया हमें 1800 266 3204 पर कॉल करें. हम आपकी बेहतर सेवा करने के लिए उत्सुक होंगे. हमारा कस्टमर केयर - कॉल सेंटर सोमवार से शनिवार तक 9:00 am से 7:00 pm के बीच उपलब्ध है.

**आप हमें पते पर भी लिख सकते हैं:**

प्रबंधक - ग्राहक सेवाएं,

**ग्रिहम हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

**रजिस्टर्ड ऑफिस: 602, 6th फ्लोर, जीरो वन IT पार्क, सर्वेक्षण नं. 79/1, घोरपाडी, मुंधवा रोड, पुणे – 411036, महाराष्ट्र आपके पास हमें ईमेल करने का विकल्प है: [customercare@Grihumhousing.com](mailto:customercare@Grihumhousing.com) (कृपया विषय लाइन में अपना लोन अकाउंट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज करें).**

हम आपका पत्र प्राप्त होने के 7 कार्य दिवसों के भीतर या आपकी ईमेल प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे. अगर हम 7 कार्य दिवसों के भीतर आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको यह कारण बताएंगे कि कंपनी को जवाब देने के लिए अधिक समय की आवश्यकता क्यों होगी.

**एस्कलेशन 1 :**

अगर आप हमारे कस्टमर केयर/हेल्पलाइन से प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हेड-ऑपरेशन को [head.customercare@Grihumhousing.com](mailto:head.customercare@Grihumhousing.com) पर लिख सकते हैं (कृपया विषय लाइन में अपना लोन अकाउंट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज करें).

**एस्कलेशन 2 :**

अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, तो आप [nodalofficer@Grihumhousing.com](mailto:nodalofficer@Grihumhousing.com) पर नोडल अधिकारी को लिख सकते हैं

**राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) में वृद्धि:**

अगर आपको पहली शिकायत करने के एक महीने के भीतर कंपनी से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है या आप प्राप्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप निम्नलिखित माध्यमों के माध्यम से NHB के शिकायत निवारण सेल से संपर्क कर सकते हैं:

(a) **ऑनलाइन मोड- आप शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक कर सकते हैं: <https://grids.nhbonline.org.in>.**

(b) **ऑफलाइन मोड- पोस्ट द्वारा ऑफलाइन/फिजिकल मोड में, आप एड्रेस पर <https://www.nhb.org.in/grievance-redressal-%20officer/> लिंक पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म में लिख सकते हैं:**

द ग्रीवेंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट, नेशनल हाउसिंग बैंक, कोर 5A, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110 003.

<p>ग्रिहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए. (पूर्व पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)</p> <p>अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता</p>	<p>उधारकर्ता::</p> <p>उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता हस्ताक्षर</p>
	<p>गारंटर</p> <p>गारंटर हस्ताक्षर</p>

**Grihum Housing Finance Limited**

(Formerly known as Poonawalla Housing Finance Limited)

CIN: U65922PN2004PLC208751

Registered Office: 602, 6th Floor, Zero One IT Park, Survey No. 79/1, Ghorpadi, Mundhwa Road, Pune-411036, Maharashtra

T: +91 020 67808091 | E: [customercare@Grihumhousing.com](mailto:customercare@Grihumhousing.com) | W: [www.Grihumhousing.com](http://www.Grihumhousing.com)